जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2021/ak/02 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शुक्रवार, 13 अगस्त 2021

अवैध खनन के विरुद्ध आमजन

भाग-1

बीकानेर की नाल छोटी मे चाइना क्ले की बड़ी कंपनी का अवैध खनन बेलगाम!!!

जयचंद लाल डागा कंपनी द्वारा बीकानेर की छोटी नाल क्षेत्र मे, जारी करवाए खनन पट्टों की आड़ मे हो रहा अवैध खनन!!

बीकानेर मे खान विभाग ने बिल्ली को सौंपा रखी है छींके की रखवाली!!!

बीकानेर के माईनिंग इंजीनियर आरएस बलारा नहीं दे रहे शिकायतों पर ध्यान!!

बलारा ने उजागर की शिकायतकर्ता की पहचान!! शिकायतकर्ता पर हुआ जान का हमला!!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

भीलवाड़ा : आसींद क्षेत्र के लाछुड़ा गांव में हादसा

सीज माइंस में अवैध खनन, खदान ढहने से दबे 7 मजदूरों की मौत

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
patrika.com

दौलतगढ़. (भीलवाड़ा) . आसींद थाना क्षेत्र के लाछुड़ा के निकट क्वार्ट्ज फेल्सपार पत्थर की सीज माइंस में अवैध खनन के दौरान बुधवार सुबह खदान का एक हिस्सा ढह गया। इस दौरान 40 फीट गहराई में पत्थर निकाल रही तीन महिलाओं समेत सात श्रमिक मलबे में दब गए। दस घण्टे चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद देर रात साढ़े ग्यारह बजे सभी के शव निकाल लिए गए। देर रात अवैध खनन करने वालों के खिलाफ आसींद थाने में गैर इरादतन हत्या में मामला दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री सहायता कोष से मृतक आश्रितों को एक-एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई। एसडीआरएफ की टीम भी देर रात तक राहत कार्य में जुटी रही।

जानकारी के अनुसार लाछुड़ा में चार माह पहले अवैध खनन के चलते नूर खां के खेत पर क्वार्ट्ज फेल्सपार पत्थर की खदान को सीज किया गया था। इस संबंध में थाने में मामला भी दर्ज कराया गया था।

दर्दनाक हादसा, 40 फीट गहरी खदान भरभराकर ढही

11:30 बजे सुबह खदान ढही

1:30 बजे दोपहर में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ

2:40 बजे दोपहर में पहला शव निकाला गया

11:30 बजे रात में सातवां शव निकाला गया

10 घंटे चला रेस्क्यू ऑपरेशन

एसडीआरएफ की टीम राहत कार्य में जुटी रही।

खदान ढहने से मलबे में दबे मजदूरों के शव।

मुख्यमंत्री सहायता कोष से आश्रितों को 1-1 लाख की मदद

दो माह पहले हुई थी मीना की शादी

मीना पुत्री भागु भील का विवाह दो माह पहले बबराणा में हुआ था। फिलहाल वह लापलिया खेड़ा स्थित पीहर में रह रही थी। उधर, प्रहलाद भी 12वीं कक्षा का छात्र था। कोरोना के कारण स्कूल बंद होने से वह परिवार का हाथ बंटाने के लिए मजदूरी पर जाने लगा था।

15 दिन से चल रहा था खनन

15 दिन पहले फिर से सीज खदान में अवैध खनन शुरू कर दिया गया था। सात श्रमिक पत्थर निकाल कर क्रैन में रख रहे थे। तभी खदान का ऊपरी हिस्सा भरभराकर ढह गया। सातों श्रमिक मलबे में दब गए। सूचना पर आसींद से पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और बचाव कार्य शुरू करवाया। श्रमिकों के 40 फीट नीचे दबे होने से बचाव कार्य में करीब 10 घंटे लग गए। मृत श्रमिकों में 6 एक ही गांव के रहने वाले थे। जबकि एक महिला श्रमिक अन्य गांव की रहने वाली थी।

इनकी गई जान...

रात 11.30 बजे सातों श्रमिकों कैमरी निवासी प्रहलाद, हिंगलाज पुत्री कैलाश भाट, धर्मा, काना, गणु उर्फ गणेश, मीना पुत्री हजारी तथा लापलिया खेड़ा (मालास) *निवासी मीना पुत्री भागु के शव निकाले गए। सभी का देर रात तक करेड़ा स्थित मोर्चरी में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया।*

अवैध खान में हुई मजदूरों की मौत अशोक गहलोत सरकार और उनके खान मंत्री के कारनामों की पोल खोल रही है। राज्य सरकार अवैध खनन पर रोक लगाए, मृतकों के परिजन को मुआवजा जारी करे।
सतीश पूनिया,
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष

प्रशासन मूक बना रहता है, क्योंकि सरकार खनन माफिया के पीछे है : शेखावत

जयपुर . केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भीलवाड़ा में अवैध खदान में हुई घटना को लेकर राजस्थान सरकार और प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। शेखावत ने कहा कि प्रशासन मूक बना रहता है क्योंकि सरकार खनन माफिया के पीछे है। इन मौतों के साथ एक बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी अवैध खदान संचालित कैसे हो रही थी?

अवैध खनन से हो रही नित नयी दुर्घटनाएँ,पर्यावरण के साथ मानव जीवन को भी पहुँच रहा नुक्सान

अवैध खनन से राज्य सरकार को लग रहा करोड़ो रुपयों सालाना चुना!!

जैसा कि आप को पता है कि राजस्थान मे खनन माफिया संगठित रूप से एक समानान्तर व्यवस्था चला रहा है,इस समानान्तर व्यवस्था मे पुलिस,खान विभाग,राजनेताओं,खनन माफिया,खनन व्यवसाय से जुड़ी छोटी-बड़ी सभी कंपनियों की अपनी एक भूमिका है|ऐसा नहीं है कि अवैध खनन राज्य के किसी एक जिले से संबन्धित हो,अब तो यह समस्या राज्य के सभी जिलो और कस्बो मे पैर पसार चुकी है|राजस्थान मे अवैध खनन से जहां पर्यावरण को नुक्सान पहुच रहा है वही अवैध खनन से मानव जीवन को हानि पहुचाने के साथ साथ राजस्व को भी करोड़ो रुपयों की सालाना हानि हो रही है|

एसीबी ने करोड़पति खनिज अभियंता को बनाया आरोपी

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मकराना में एक बंद खान शुरू करवाने की रिश्वतखोरी में फोरमैन श्रीपाल के साथ खनिज अभियंता (एमई) राजेन्द्र सिंह बलारा को भी आरोपी बनाया है।

By: afjal
Published: 24 Jul 2015, 10:08 PM IST Jaipur, Rajasthan, India

एसीबी द्वारा वर्ष 2015 मे दर्ज की गयी एफ़आईआर मे वर्तमान बीकानेर एमई राजेन्द्र सिंह बलारा को बनाया गया था आरोपी

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने मकराना में एक बंद खान शुरू करवाने की रिश्वतखोरी में फोरमैन श्रीपाल के साथ खनिज अभियंता (एमई) राजेन्द्र सिंह बलारा को भी आरोपी बनाया है।

आरोपी मोबाइल बंद करके भूमिगत हो गया है। एसीबी को फरार अभियंता के घर से करोड़ों की सम्पत्ति व लाखों रूपए के सोने-चांदी के आभूष्ाण मिले हैं।

वहीं, अजेमर न्यायालय ने फोरमैन श्रीपाल को छह अगस्त तक न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। एसीबी इस प्रकरण में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी छानबीन कर रही है।

एसीबी के महानिरीक्षक हवासिंह घुमरिया ने बताया कि रिश्वत प्रकरण में फोरमैन श्रीपाल के साथ खनिज के मुख्य अभियंता राजेन्द्र सिंह बलारा बराकर के दोष्ाी हैं।

आरोपी की लोकेशन एक रेस्टोरेंट में मिली थी लेकिन टीम के पहुंचने से पहले ही आरोपी मोबाइल बंद करके खिसक गया। गुरूवार रात को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नरपतसिंह ने आरोपी राजेन्द्र सिंह बलारा के जोधपुर के महादेव नगर स्थित दो भूखण्ड पर बने तीन मंजिला आवास की तालाशी ली।

खबर स्त्रोत:-राजस्थान पत्रिका वेबसाइट

जयपुर के पास हाथानौदा में बड़े पैमाने पर चल रहा अवैध खनन

वैध की आड़, 5 गुना अवैध खनन

सुनील सिंह सिसोदिया
patrika.com

जयपुर. प्रदेश में अवैध खनन कर राजस्व को करोड़ों रुपए की चपत बजरी में ही नहीं चेजा पत्थर का अवैध खनन कर चपत लगाई जा रही है। चौमूं के पास हाथनौदा गांव में दो दर्जन लीजों की आड़ में करीब 3 किमी लंबे पहाड़ को छलनी कर दिया गया है।

खनन विशेषज्ञों की माने तो यहां वैध रूप से करीब 20 लाख टन का ही खनन सरकारी रिकॉर्ड में हुआ है, जबकि मौके का आकलन किया जाए तो 1 करोड़ टन पत्थर का खनन कर बाजार में बेचा गया है। सराकरी रिकॉर्ड से पांच गुना अवैध खनन हुआ है। सूत्रों के मुताबिक हाथनौदा में खान विभाग ने लगभग 3 किमी लंबी इस पहाड़ी पर 26 खानों का आवंटन किया हुआ है। इन खानों का स्वीकृत क्षेत्र करीब 26 हैक्टेयर है। यहां 53 हैक्टेयर पहाड़ी क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन चल रहा है। पहाड़ी पर 16 ऐसे बड़े गड्ढे हैं जो अवैध रूप से खनन के चलते बने हैं। खान विभाग ने यहां कार्रवाई भी की, लेकिन वह नाम मात्र की गई।

केन्द्र को भी बोला झूठ

प्रदेश में वैध खानों की आड़ में हो रहे अवैध खनन को लेकर केन्द्र सरकार की ओर से दो साल पहले सैटेलाइनज इमेज खान विभाग की भेजी गई थी। इसमें अवैध खनन क्षेत्रों को दर्शाते हुए जांच कर कार्रवाई के लिए कहा गया था। बताया जा रहा है कि इस सैटेलाइन इमेज में चौमूं के पास का हाथनौदा खनन क्षेत्र भी शामिल था। यहां जांच कार्रवाई का दबाव बना तो दर्जनभर खानों पर करीब 600 से 700 टन अवैध खनन के पंचनामा बनाकर खानापूर्ति कर ली गई। यहां लगभग पूरी पहाड़ी को ही खोदकर जमीन तक पहुंचा दिया गया है। यहां पूरे चौमूं शहर के साथ ही आसपास बने हाईवे और सड़कों में पत्थरों का बड़े कर कार्रवाई का जिम्मेदार अधिकारियों पर दवाब बना तो उन्होंने नाम मात्र 600 से 700 टन के पंचनामा बनाकर मामले को ही दवाब दिया। उल्टा केन्द्र सरकार को भी सही कार्रवाई नहीं कर गुमराह किया गया। ऐसे में विभाग कार्रवाई करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की जांच कराए तो पूरा अवैध खनन के खेल का खुलासा हो सकता है।

फॉलोअप

खनन जारी करने में घालमेल, हर साल करोड़ों के राजस्व का चपत

राजस्थान पत्रिका
प्रकाशित खबर।

पैमाने पर उपयोग हुआ है।

35 रुपए टन है रॉयल्टी

चेजा पत्थर की रॉयल्टी अभी 35 रुपए प्रति टन के आसपास है। ऐसे में यदि वैध खनन के मुकाबले क्षेत्र में किए गए अवैध खनन का आंकलन किया जाए तो करोड़ों रुपए के राजस्व की चोरी हुई है। सूत्रों की मानें तो यहां सरकारी रिकॉर्ड में 20 लाख टन के आसपास खनन करना बताया जा रहा है।

शहरी क्षेत्रों में हो रहा अवैध खनन

जयपुर @ पत्रिका. शहर व आसपास के क्षेत्रों में खनन में आ रही बाधाओं को दूर करने को लेकर खान विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई। इसमें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, भीलवाड़ा और बीकानेर जिलों के खनन क्षेत्रों का चिन्हिकरण करने और आ रहे परेशानियों को लेकर चर्चा हुई। इन क्षेत्रों में वैध खनन में परेशानी आने से बड़े पैमाने पर अवैध खनन हो रहा है। बैठक में अधिकारियों ने एसीएस सुबोध अग्रवाल को बताया कि इन क्षेत्रों में मुख्य रूप से मेसेनरी स्टोन, लोह अयस्क, सेंड स्टोन, मार्बल आदि खनिज संपदा हैं। लेकिन वहां अवैध खनन हो रहा है।

जिलों की शहरी सीमा व आसपास खनिज

जयपुर : अरणिया लखेर, मेवल, सुन्दर का वास, कालवाड, खोराश्यामदास, दांतली-सिरोली में मुख्यत: मेसेनरी स्टोन है।

जोधपुर : बड़ली व केरु में लेड जिंक, जोधपुरी सजावटी पत्थर सैंड स्टोन खनिज उपलब्ध है।

भीलवाड़ा : जिपिया, धूलीखेड़ा में लोह अयस्क व

बीकानेर : छोटी नाल व बड़ी नाल में बजरी और क्ले है।

मार्बल, मेसेनरी स्टोन के भण्डार हैं।

भा.कृ.अनु.प. राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसन्धान केंद्र
तबीजी, अजमेर 305306, राजस्थान (भारत)

फा.सं.:3-83/2017-Estt. दिनांक:- 05.08.2021

WALK -in-INTERVIEW

खान विभाग के अनुसार बीकानेर के शहरी क्षेत्र छोटी नाल और बड़ी नाल मे हो रहा अवैध खनन

बीकानेर निवासी अमरेन्द्र सिंह(परिवर्तित नाम) ने खोली जय चंद डागा कंपनी के अवैध खनन की पोल

खान विभाग के खनिज अभियंता को दिनांक 03/06/2021 को की गयी शिकायत मे बीकानेर निवासी अमरेन्द्र सिंह(परिवर्तित नाम) द्वारा बताया गया कि बीकानेर के नाल छोटी गाँव मे खान विभाग द्वारा जय चंद डागा कंपनी को जारी खनन पट्टो एमएल. न.16/06 और एमएल. न.03/2000 मे क्षेत्र से बाहर जाकर अवैध खनन किया जा रहा है अतः मामले की जांच की जाए|

इस पर बीकानेर के खनिज अभियंता श्री आरएस बलारा द्वारा दिनांक 07/06/2021 को खनन पट्टों के मालिक जय चंद लाल डागा को पत्र लिख कर,शिकायतकर्ता का नाम और पहचान उजागर करते हुए,7 दिवसों मे दस्तावेज़ और अन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा साथ ही विभाग के फोरमेन श्री श्रवण सिंह को दोनों खनन पट्टों के क्षेत्र क मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा|लेकिन ताज्जुब है कि शिकायत के दो महीने बाद भी इस शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है|

अमरेन्द्र सिंह(परिवर्तित नाम) के अनुसार इसी बीच कंपनी द्वारा अवैध खनन

पेनल्टी बचाने के लिए खेला जा रहा अवैध खनन क्षेत्र भराई का खेल|

जानकारों के अनुसार बाल क्ले की रॉयल्टी 80 रुपए प्रति टन है|यदि अवैध खनन करते हुए पकड़ा जाता है तो संबन्धित व्यक्ति पर रॉयल्टी राशि का 10 गुना यानि 800 रुपए की पेनल्टी अध्यारोपित की जा सकती है|इसी पेनल्टी को बचाने के लिए अवैध खनन क्षेत्र भराई का खेल खेला जा रहा है ताकि जब इस क्षेत्र का पंचनामा तैयार किया जाए तो पेनल्टी कम से कम लगाई जा सके|

छोटी नाल क्षेत्र के खसरा सख्या 198,198/1,201 व आस-पास के अन्य खसरों मे लीज धारक राज देवी डागा(एमएल संख्या– 03/2000)द्वारा किया जा रहा अवैध खनन|

क्षेत्र को रीफ़ील करने का काम शुरू कर दिया है,इसके लिए कंपनी ने सारे संसाधन झोंक दिये है|

जब इस मामले की जानकारी अमरेन्द्र सिंह(परिवर्तित नाम) द्वारा खनिज अभियंता श्री आरएस बलारा को दी गयी तो उन्होने नसीहत देते हुए कहा कि मुझे मेरा काम सीखाने की जरूरत नहीं है,तुम्हें जहां जाना है वहाँ जाकर शिकायत कर दो|

अवैध खनन वाले क्षेत्र को भरते डंपर

जवाब मांगते सवाल?

- आखिर क्यूँ खान विभाग द्वारा एक भ्रष्टाचार के आरोपी को पुनः फील्ड का चार्ज दे दिया गया?
- आखिर क्यूँ खनिज अभियंता श्री आरएस बलारा इस गंभीर मामले को 2 महीनों से अधिक दबा कर बैठे है?
- जयचंद लाल डागा को क्षेत्र मे और कितने खनन पट्टे जारी किए गए है?वहाँ पर अवैध खनन की क्या स्थिति है?
- यदि भविष्य मे शिकायतकर्ता को जानोमाल की हानि होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा?
- क्या खनिज अभियंता श्री आरएस बलारा के संरक्षण मे तो कंपनी द्वारा अवैध खनन क्षेत्र को पाटने का काम नहीं किया जा रहा है?

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता , खान एवं भूविज्ञान विभाग बीकानेर

क्रमांक –खअ/बीका/एम एल/16/06/2021/17 दिनांक– 7/6/2021

प्रेषित

श्रीमान जयचंद लाल डागा
पुत्र श्री चम्पालाल डागा
निवासी बागडी मौहल्ला बीकानेर।

विषय–एम एल 16/06 तथा एम एल 3/2000 में हो रहे अवैध खनन के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायत के निस्तारण बाबत।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि कार्यालय में एक शिकायत श्री [redacted] बीकानेर से प्राप्त हुयी है। जिसके अनुसार आप द्वारा एम एल संख्या 16/06 खनिज का खनन कर एवं एम एल संख्या 3/2000 में लीज के रवान्ना जारी करने का व खनन पटटा के सीमा स्तम्भ नही होने तथा क्षैत्र से बाहर खनन कार्य किया जाना उल्लेख किया गया है । अतः इस सम्बन्ध में अपना साक्ष्य/दस्तावेज पत्र प्राप्ति के 7 दिवस में कार्यालय में प्रस्तुत करे ।

(आर एस बलारा)
खनि अभियन्ता, बीकानेर

प्रतिलिपि:–समसंख्यक / 16 दिनांक:– 7/6/2021

1– श्रवण सिंह एम एफ II कार्यालय हाजा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त दोनो खनन पटटा क्षेत्र का मौका निरीक्षण कर रिर्पोट अधोहस्ताक्षरकर्ता समक्ष शीघ्र प्रस्तुत करे ।

(आर एस बलारा)
खनि अभियन्ता बीकानेर

सहायक लोक सूचना अधिकारी

खनिज अभियंता श्री राजेन्द्र सिंह बलारा द्वारा जयचंद लाल डागा को लिखे गए पत्र मे शिकायतकर्ता की पहचान उजागर करते हुए साक्ष्य/दस्तावेज़ उपलब्ध करवाने को लिखा गया था,उसके बाद ही आपसी वैमनस्य के चलते शिकायतकर्ता पर जान का हमला भी हुआ जिसकी शिकायत शिकायतकर्ता द्वारा स्थानीय थाने मे की गयी है|